# शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल

- अनियमितताओं और गड़बड़ियों पर लगेगी रोक
- 1 मार्च से ऑफलाइन आवेदनों पर लगा बैन

इंदौर। मध्य प्रदेश में अब शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ये केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। सरकार आगामी एक मार्च से शस्त्र लाइसेंस संबंधी नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसमें किसी व्यक्ति को नया शस्त्र, बंदूक अथवा अन्य हथियार लेना है तो भारत सरकार द्वारा बनाए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

बिना ऑनलाइन आवेदन के फार्म स्वीकार नहीं होंगे। दरअसल, प्रदेश में जिलों से कारतूस में हेरफेर और लाइसेंस प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें आती रही हैं। नई व्यवस्था लागू होने से इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। आवेदक का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकेगा, जिससे अयोग्य या नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान आसान होगी। न तो व्यक्तिगत सिफारिशों का असर रहेगा और न ही रिकॉर्ड में हेरफेर की गुंजाइश बचेगी।

## डिजिटल प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई प्रणाली से पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद आवेदक को एक यूनिक फाइल नंबर प्राप्त होगा। इसी फाइल नंबर के साथ आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मैन्युअल जमा किया जा सकेगा।

## ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद

यदि किसी आवेदक द्वारा पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, तो उसका ऑफलाइन फार्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक मार्च तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही मान्य होंगे। इस प्रणाली से नए लाइसेंस आवेदनों की ट्रैकिंग कर लाइसेंस नवीनीकरण और स्पोर्ट्स कोटे के तहत जारी लाइसेंसों की स्थिति की भी निगरानी की जा सकेगी।

# फाइव डेज वर्किंग व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए

**मप्र में अटेंडेंस पर सख्ती को लेकर कर्मचारी अधिकारी संघ की मांग**

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बीच, जब वे दौरे पर हैं और मुख्य सचिव भी प्रदेश से बाहर कार्यक्रम में शामिल हैं, तब सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय परिसर में औचक निगरानी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के विभिन्न विभागों में देर से आने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की गई, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। समयपालन को लेकर यह कार्रवाई सरकार की कार्यसंस्कृति सुधारने की पहल के रूप में देखी जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन यह नियम केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते और जनता से मिलने के लिए निर्धारित एक घंटे का बोर्ड तो लगा देते हैं, लेकिन जब आम नागरिक मिलने आते हैं तो अधिकारी बैठक में व्यस्त हो जाते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग की जाए और उनकी उपस्थिति व कार्यशैली की सूची सार्वजनिक की जाए। कर्मचारी नेता ने यह भी कहा कि यदि समयपालन का नियम सभी स्तरों पर समान रूप से लागू नहीं किया गया, तो 'फाइव डेज वर्किंग' व्यवस्था पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो सभी कर्मचारी और अधिकारी समान नियमों के तहत काम करें, अन्यथा सप्ताह में छह दिन कार्य प्रणाली को फिर से लागू किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने मंत्रालय की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर सरकार प्रशासनिक अनुशासन मजबूत करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर कर्मचारी संगठन पारदर्शिता और समान नियम लागू करने की मांग उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा की संभावना जताई जा रही है।

## कार्टून कोना...

# बड़े गणपति के दर्शन से प्रारंभ हुई भव्य निशान यात्रा त्रिदिवसीय फाग महोत्सव का शुभारंभ

**महामण्डलेश्वर श्री गोपाल दास जी शर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया-फाल्गुन में निकाली जाने वाली निशान यात्रा आस्था, समर्पण और आध्यात्मिक जागरण की प्रतीक**

इंदौर। फाल्गुन माह की भक्तिमय छटा के बीच आज प्रातः खाटू श्याम फाग महोत्सव के अंतर्गत आयोजित भव्य निशान यात्रा का शुभारंभ बड़े गणपति मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर धर्मध्वज (निशान) थामे उत्साहपूर्वक यात्रा में सहभागिता की। इसी मंगलमय अवसर के साथ अंबिकापुरी (एरोड्रम रोड) स्थित श्री खाटू श्याम धाम में आयोजित त्रिदिवसीय फाग महोत्सव की औपचारिक शुरुआत भी संपन्न हुई।

नियोजित मार्ग से आगे बढ़ती शोभायात्रा में श्याम भक्तों का अद्भुत उत्साह, अनुशासन और भक्ति-भाव देखने को मिला। हाथों में सुसज्जित निशान लिए श्रद्धालु श्याम नाम के जयघोष एवं मधुर भजन-कीर्तन की धुन पर थिरकते रहे। बैंड-बाजों, पुष्प वर्षा और भक्तिरस से सराबोर संगीत ने वातावरण को आध्यात्मिक उल्लास से भर दिया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों एवं श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का आत्मीय स्वागत किया।

यात्रा के शुभारंभ के समय आयोजित प्रेसवार्ता में श्री श्री खाटू श्याम धाम, अंबिकापुरी के संस्थापक एवं महामण्डलेश्वर श्री गोपाल दास जी शर्मा ने निशान यात्रा के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फाल्गुन मास बाबा श्याम की आराधना का विशेष कालखंड है, जब भक्तिभाव, प्रेम और उल्लास का दिव्य संगम होता है। उन्होंने बताया कि निशान यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और सामूहिक आस्था की गतिशील अभिव्यक्ति है।

महामण्डलेश्वर श्री शर्मा ने अपने अभिमत में कहा कि बाबा श्याम के दरबार में फाल्गुन के अवसर पर निकाली जाने वाली निशान यात्रा भक्त और भगवान के मध्य आत्मीय संबंध का प्रतीक है। यह यात्रा समाज में एकता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि जब हजारों श्रद्धालु एक स्वर में श्याम नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब वह केवल शोभायात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह बन जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि अखंड नाम-जाप, महा आरती और फूलों की होली जैसे कार्यक्रम मन, वचन और कर्म की शुद्धि के माध्यम हैं। विशेष रूप से फूलों की होली को उन्होंने प्रेम, सौम्यता और सात्विक आनंद की परंपरा बताते हुए कहा कि यह उत्सव भक्तों को अहंकार से दूर कर भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर अग्रसर करता है।

निशान यात्रा के दौरान भक्ति, ऊर्जा और सामूहिक सहभागिता का अनुपम दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। युवा, महिलाएँ और वरिष्ठजन सभी वर्गों के श्रद्धालु श्रद्धा-भाव से सहभागी बने। आयोजन समिति द्वारा पेयजल, प्राथमिक उपचार, यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गईं, जिससे यात्रा सुव्यवस्थित एवं गरिमामय ढंग से संपन्न हुई।

श्याम भजनों की गूंज के बीच आगे बढ़ती यह यात्रा श्रद्धा और समर्पण का जीवंत प्रतीक बन गई। श्रद्धालुओं के चेहरों पर भक्ति की आभा और उत्साह की चमक स्पष्ट दिखाई दी। शोभायात्रा श्री खाटू श्याम धाम पहुँची, जहाँ विशेष आरती, मंगलाचरण एवं पुष्प अर्चन के साथ बाबा का स्वागत किया गया।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, त्रिदिवसीय फाग महोत्सव के आगामी चरणों में एकादशी के पावन अवसर पर अखंड जाप, विशेष श्रृंगार, महा आरती एवं फूलों की होली जैसे आध्यात्मिक आयोजन संपन्न होंगे।

महोत्सव का उद्देश्य भक्तों को भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है।

# भोपाल की सम्पतियां इंदौर में गिरवी रख करोड़ों की धोखोधड़ी, नौ साल पहले के मामले में केस दर्ज

इन्दौर। भोपाल स्थित समपतियों को पंजाब नेशनल बैंक शाखा सियागंज इंदौर में को-लेटरल के रूप में बंधक रखवाकर लगभग तीन करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर धोखाधड़ी करने की सम्पत्ति मालिक द्वारा दर्ज शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने राहुल दुबे, संगीता दुबे, प्रताप नारायण दुबे, अतुल दुबे, भुवनेश्वर पांडे एवं स्वाति शुक्ला सभी निवासी भोपाल सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।

इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र रचकर इस धोखाधड़ी को सोची समझी साज़िश के तहत अंजाम दिया। ईओडब्ल्यू ने दीपक भावसार निवासी भोपाल की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू के अनुसार आरोपियों ने 14 मार्च 2017 को एक कंपनी का पंजीयन कराया, जिसमें शिकायतकर्ता को डायरेक्टर बनाया गया। कंपनी का संचालन मुख्य रूप से आरोपी प्रताप नारायण दुबे एवं भुवनेश्वर पाण्डे द्वारा किया जा रहा था। आरोपियों ने शिकायतकर्ता की भोपाल स्थित तीन संपत्तियाँ एक फ्लैट, एक दुकान एवं ग्राम मेण्डोरी स्थित भूमि को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सियागंज, इंदौर में को-लेटरल सिक्योरिटी के रूप में बंधक रखकर कंपनी के नाम से तीन करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई गई। यह केवल व्यावसायिक प्रयोजन हेतु अस्थाई व्यवस्था की गई थी तथा फ़रियादी को बताया गया था कि उन्हें नियमित लाभ एवं वेतन प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में दिनांक 27 मई 2017 को एक एम.ओ.यू. भी निष्पादित किया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शिकायत पश्चात ईओडब्ल्यू ने विस्तृत जांच में पाया कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत कंपनी स्थापित कर शिकायतकर्ता को विश्वास में लिया, उसकी संपत्तियाँ गिरवी रखवाई, ऋण राशि का दुरुपयोग किया तथा कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर की कूटरचना कर जाली अभिलेखों का उपयोग किया। यही नहीं आरोपियों ने उक्त राशि का दुरुपयोग निजी एवं पारिवारिक कंपनियों में स्थानांतरित कर किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

# रोजा इफ्तार कार्यक्रम में बांटी पढ़ाई संबंधित सामग्री

इंदौर। मुस्लिम शेख समाज के सचिव असलम खान ने बताया कि समाज का रोजा इफ्तार कार्यक्रम डायमंड गार्डन सदर बाजार में आयोजित किया गया। जिसमें 22 नन्हे बच्चों द्वारा रोजा रखा गया। इफ्तार के बाद देश तरक्की खुशहाली और अमन चैन और शांति के लिए दुआ की गई।

बच्चों को शिक्षा - जागरुकता उद्देश्य के तहत पढ़ाई से संबंधित सामग्री देकर समाज के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के ऐसे बच्चे जिनके द्वारा शिक्षा और अन्य क्षेत्रों उत्कृष्ट कार्य किया गया जिसमें मुख्य रुप से आलिम हाफिज साहेब मौलाना, हाफिज रहमानीश, ईशान बॉडी बिल्डर, अयान बॉडी बिल्डर, जैनुल हुसैन, स्विमिंग में नेशनल रैंकिंग, अलिना असलम? खान (BBA-LLB) को समाज के वरिष्ठ सलीम शेख, इकबाल शेख द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम सफल बनाने मे युसुफ शेख, शेख रफीक नाकेदार, नौशाद शेख पाकीजा, नौशाद इण्डियन, इमरान ताज, इनाम शेख, कय्यूम शेख सहित युवाओं का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम मे इंदौर उज्जैन सहित आसपास के समाजजन ने हिस्सा लिया।

# नाथ मंदिर पर श्रीमाधवनाथ महाराज की 90वीं पुण्यतिथि पर 2 से 9 मार्च तक मनेगा महोत्सव

इंदौर। साउथ तुकोगंज स्थित श्रीनाथ मंदिर संस्थान में सोमवार 2 मार्च से सोमवार 9 मार्च तक योगाध्यानंद माधवनाथ महाराज के 90वें पुण्यतिथि महोत्सव का दिव्य आयोजन होगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह के सत्र में सामूहिक ग्रन्थ पाठ एवं महाराजश्री का रुद्राभिषेक तथा दोपहर एवं रात्रि में अनेक प्रख्यात भजन एवं कीर्तन मंडलों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में देशभर के श्रद्धालु आएँगे। श्रीनाथ मंदिर संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष, पूर्व राज्यपाल एवं न्यायमूर्ति वीएस कोकजे ने बताया कि महोत्सव में प्रतिदिन शाम 6 बजे से टिटवाला, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कीर्तनकार ह.भ.प. सौ. ज्ञानदा बुरसे पंडित के मनोहारी संकीर्तन होंगे। तबले पर आदित्य लेले एवं हारमोनियम पर राजेंद्र जोशी संगत करेंगे। हर दिन भजन संकीर्तन की नई-नई प्रस्तुतियां होंगी। विशेष सांस्कृतिक संध्या ङ्क रविवार 8 मार्च को सांय 7.30 बजे ओंकार स्वरूपा' कार्यक्रम के तहत प्रख्यात गायक एवं संगीतकार श्रीधर फड़के और सौ. शिल्पा पुणताम्बेकर अपने भावगीत, भक्ति गीत एवं अभंगों की प्रस्तुतियां देंगे।

# बगैर अनुमति संचालित हवाई रेस्टोरेंट - कोर्ट की प्रशासन को लताड़, क्या कार्रवाई के लिए पीआईएल का इंतजार कर रहे थ

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते इस तल्ख टिप्पणी के साथ प्रशासन को लताड़ लगाई कि ...क्या कार्रवाई के लिए पीआईएल दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे।

याचिका इन्दौर के बायपास पर संचालित कथित ऊबुद (हवाई) रेस्टोरेंट में बिना अनुमति और सुरक्षा इंतज़ामों के शराब व मांस परोसने का है।

बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट के पास फायर सेफ्टी एनओसी, तकनीकी अनुमति और वैध परमिट तक नहीं हैं, इसके बावजूद सोशल साइट्स पर इसका खुला प्रचार भी किया जा रहा है। याचिका सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पेश एडवोकेट शशांक श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि निगम ने इस रेस्टोरेंट को कोई वैध अनुमति नहीं दी है।

वहीं नवंबर 2025 को संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया था, इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहीं। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त तल्ख टिप्पणी करते निगम को लताड़ लगाते सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की है।

बता दें कि यह रेस्टोरेंट क्रेन के ज़रिए लोगों को करीब 150 फीट ऊंचाई पर ले जाकर खाना-शराब परोस रहा है, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर सुरक्षा जोखिम माना है और इसके खिलाफ यह जनहित याचिका चर्चित शास्त्री द्वारा दायर की गई है जिसमें दलील दी गई है कि क्रेन का उपयोग माल ढुलाई के लिए होता है, न कि इंसानों को उठाने के लिए।

जबकि रेस्टोरेंट में एक साथ 30 से अधिक लोगों को क्रेन के प्लेटफॉर्म पर लटकाकर ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। और वहां शराब तथा मांस परोसा जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि इतनी ऊंचाई पर शराब परोसना किसी बड़े हादसे को खुला न्योता है। यदि क्रेन में तकनीकी खराबी आई, तो पल भर में दर्जनों जानें जा सकती हैं। याचिका में कोर्ट को वर्ष 2023 में सूरत में हुए इसी तरह के हवाई रेस्टोरेंट हादसे का हवाला देते बताया गया कि वहां झूला गिरने से गंभीर दुर्घटना हुई थी।

# भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण का बेहद अद्भुत नजारा

इंदौर। भारत में चंद्र ग्रहण का बेहद अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 3 मार्च को लगने वाला साल 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण है, लेकिन इस खगोलीय घटना का होलिका दहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली 2 मार्च, सोमवार को मनाई जाएगी।

3 मार्च को होने वाला यह ग्रहण खगोलविदों और आकाश प्रेमियों के लिए एक रोमांचक मौका होगा। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, हालांकि इसका दृश्य चरण केवल अंतिम 20 मिनट तक सीमित रहेगा। भारत में जब चंद्रोदय होगा, तब तक ग्रहण अपने समापन की ओर बढ़ चुका होगा। फिर भी देश भर के खगोलप्रेमी इस ब्लड मून को कैमरे और डीएसएलआर में कैद कर सकेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की छाया दोपहर में ही चंद्रमा को ढकना शुरू कर देगी, लेकिन भारत में यह प्रभाव शाम के समय नज़र आएगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार 3 मार्च को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक चलेगा।

इसकी कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट रहेगी, लेकिन भारत में ग्रहण केवल 20 मिनट के लिए ही देखा जा सकेगा। चंद्रोदय शाम 6 बजकर 26 मिनट पर होगा, जबकि अधिकतम ग्रहण का समय 6 बजकर 33 मिनट से 6 बजकर 40 मिनट के बीच रहेगा। ग्रहण ठीक 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आकर चंद्रमा की सतह पर छाया डालती है, तब चंद्र ग्रहण होता है।

यह खगोलीय संयोग ना केवल देखने में अद्भुत होता है, बल्कि ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। इस बार होली के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण एक दिन बाद लग रहा है। 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी।

ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है, इसलिए इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य, मन और भावनाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस बार चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी

तरह ढक जाता है तो वह गहरे लाल रंग का नजर आता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए साफ आसमान और कम रोशनी वाला स्थान चुनना बेहतर रहेगा। ब्लड मून देखने के लिए किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं है, इसे नंगी आंखों से भी सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है।